भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1522

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पानी की कमी

1522. श्री दिग्विजय सिंह:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

श्री इमरान प्रतापगढी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में भू-जल की वर्ष-वार और राज्य-वार उपलब्धता कितनी-कितनी रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर भारत में पानी की कमी धीरे-धीरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक मुद्दा बनती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों को जल की कमी के प्रभावों से बचाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पूर्वोत्तर भारत सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त रूप से देश के डॉयनमिक भूजल संसाधनों का आकलन नियमित रूप से किया जा रहा है। पिछले तीन आकलनों के निष्कर्ष के अनुसार वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधनों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**बीसीएम* में वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन**		
		2023	**2022**	**2020**
1	**अरुणाचल प्रदेश**	4.16	4.07	2.916
2	**असम**	20.93	21.4	21.966
3	**मणिपुर**	0.466	0.47	0.46
4	**मेघालय**	1.51	1.51	1.82
5	**मिजोरम**	0.2	0.2	0.2
6	**नागालैंड**	0.54	0.71	1.95

7	**त्रिपुरा**	1.09	1.064	1.245
8	**सिक्किम**	0.218	0.244	0.864
कुल		29.114	29.668	31.421

*** बिलियन घन मीटर**

(ख) और (ग): सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में भूजल संसाधनों के महत्व से अवगत है। हालांकि, जल राज्य का विषय होने है। भूजल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकार का दायित्व है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। इस दिशा में जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

- केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में 89,596 वर्ग किलोमीटर के सम्पूर्ण मैपिंग योग्य क्षेत्र सहित देश के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग (नैक्यूम) परियोजना पूरी कर ली गई है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर इसके कार्यान्वयन के लिए इसे संबंधित राज्य अभिकरणों के साथ साझा किया गया है। इन प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।
- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के लिए संरचनाओं का निर्माण करने वाली एक वृहद स्तरीय योजना है। इस मास्टर प्लान में पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 5.4 लाख संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है । इसके कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त कार्य योजना तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।
- कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा देश में वर्ष 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीडीएमसी मुख्यतः उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सटीक/सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। पीडीएमसी केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, पूर्वोत्तर राज्यों को वित्त पोषण 90:10 के अनुपात में प्रदान किया जाता है।
- भूमि संसाधन विभाग द्वारा पीएमकेएसवाई योजना (पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में झरनों के पुनुरुद्धार को महत्व दिया जाता है।
- मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून अधिनियमित करने में सक्षम बनाने हेतु एक मॉडल बिल परिचालित किया गया है। अब तक पूर्वोत्तर राज्यों असम और नागालैंड सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल कानून को अपनाया और कार्यान्वित किया है। इस मॉडल विधेयक में शहरी क्षेत्रों में भवनों की छतों और अन्य खुले क्षेत्रों से उपलब्ध वर्षा जल का भू-जल पुनर्भरण हेतु लाभप्रद रूप से उपयोग करने की

परिकल्पना की गई है। पुनर्भरण पिट, ट्रेंच, मौजूदा नलकूप अथवा खुले कूप आदि सहित शहरी क्षेत्रों में व्यवहार्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

- देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। देश में भूजल की निकासी सह उपयोग को सीजीडब्ल्यूए द्वारा अखिल भारतीय प्रयोज्यता वाली दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर विनियमित किया जाता है।
- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से योजना तैयार करते हुए वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, नदी, नदी निकायों और अवसंरचनाओं के संरक्षण को शामिल किया गया है।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मॉडल भवन उपनियम, 2016 जारी किया गया है जो 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए वर्षा जल संचयन की सिफारिश करता है। अब तक 35 राज्यों द्वारा अपने संबंधित भवन उपनियमों में इन प्रावधानों को शामिल किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं जिन्हें निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है-
https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों में भूजल के स्थायी प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न उपायों का ब्यौरा **अनुलग्न-I** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक- I

"पूर्वोत्तर क्षेत्र में पानी की कमी" के संबंध में दिनांक 05.08.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1522 के भाग (ख) और (ग)के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भूजल के स्थायी प्रबंधन के लिए असम सरकार द्वारा की गई पहल

- असम सरकार द्वारा "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" अभियान को अपनाया गया, जो राज्य में जल संरक्षण और कुशल जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों को एक साथ ला कर जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना है ताकि राज्यों में जल सुरक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण का सृजन हो सके।
- असम सिंचाई विभाग द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- हर खेत को पानी- जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-आरआरआर) के तहत परियोजनाएं आरंभ कर पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-आरआरआर के अंतर्गत गुवाहाटी शहर में एक बड़े जल निकाय, सिलसाको बील की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार भी किया जा रहा है।

भूजल के स्थायी प्रबंधन के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल

- जल संरक्षण हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर बहुउद्देशीय जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

- जल संरक्षण की आवश्यकता, गुणवत्ता पहलुओं आदि के बारे में लोगों के विभिन्न वर्गों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

भूजल के स्थायी प्रबंधन के लिए मेघालय सरकार द्वारा की गई पहल

- मेघालय सरकार द्वारा मृदा की प्रतिधारण क्षमता में सुधार करने के लिए स्प्रिंग शेड प्रबंधन, वर्षा जल संचयन स्कीम, अपवाह क्षेत्र में सुधार आदि जैसी अनेक जल संसाधन नवीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

भूजल के स्थायी प्रबंधन के लिए मिजोरम सरकार द्वारा की गई पहल

- मिजोरम भूजल (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम वर्ष 2023 में पारित किया गया था। तदुपरांत वर्ष 2024 में कैबिनेट द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत नियम भी पारित किए गए थे, जिसके अंतर्गत भूजल के कुशल प्रबंधन और पुनर्भरण, झरने के स्रोतों का पुनरुद्धार सुनिश्चित किया गया है।

भूजल के स्थायी प्रबंधन के लिए नागालैंड सरकार द्वारा की गई पहल

- नागालैंड सरकार के अधीन भूविज्ञान और खनन निदेशालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में पायलट आधार पर कुछ वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

भूजल के सतत प्रबंधन हेतु मणिपुर सरकार द्वारा की गई पहल

- मणिपुर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत चेक-डैम / पिक-अप वीयर सहित जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है।
- मणिपुर राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (एनईआर) के मार्गदर्शन में जिला-वार कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण और जिला-वार स्प्रिंग पुनरुद्धार योजनाएं भी आरंभ करने की योजना बनाई जा रही है।

भूजल के सतत प्रबंधन हेतु त्रिपुरा सरकार द्वारा की गई पहल

- त्रिपुरा सरकार द्वारा पूरे राज्य में कई स्थानों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण की योजना बनाई गई है।

- भूजल के पुनर्भरण हेतु परित्यक्त बोरवेल का उपयोग करने की पहल की गई है।

भूजल के सतत प्रबंधन हेतु सिक्किम सरकार द्वारा की गई पहल

- सिक्किम सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन, झरने के स्रोतों का नवीकरण और भूजल पुनर्भरण सहित जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

****